लोक सुनवाई का वृत

मेसर्स विश्वनाथ कुमार सिंह, मेसर्स सुधीर कुमार सिंह द्वारा गया जिला के **अंचल–परैया के गया मोरहर–24 बालू घाट एवं मोरहर–25 बालू घाट,** ग्राम–गजनपुर, बैकटपुर और मिर्जाचक, कोनडीह शिकनरा, मोरहर नदी का कलस्टर क्षेत्रफल–141.8 हेक्टेयर पर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक–**25.09.2020** को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, परैया, जिला–गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/1045/2020, दिनांक–21.07.2020 एवं टी0ओ0आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/1046/2020, दिनांक–21.07.2020 के आलोक में श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), गया की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाईम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक–**23.08.2020** द्वारा प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान **श्री ए. के. गुप्ता**, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बालू उत्खनन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली व्यवस्था, सोसल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से बताया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान धूल उड़ने से रोकने के लिए सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नही करेंगे एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाऐंगे। परियोजना में खनन ''अनुमोदित खनन योजना'' के अनुसार ही किया जायेगा जो विश्वसनीय वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। खनन बेंच बनाकर ही किया जायेगा जिसकी ऊँचाई 1.5 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रहेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग, पी.यू.सी. प्रमाणित वाहनों का इस्तेमाल एवं खराब ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा। ढुलाई और निकास मार्ग पर पड़ने वाले परिवहन भार को नियंत्रण रखा जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के तहत परियोजना लागत का 2 प्रतिशत राशि क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जायेगा। खनन क्षेत्र के आस–पास रहने वाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जायेगा। समय–समय पर मेडिकल कैम्प लगाये जायेंगे।

अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। यह परियोजना पाँच साल की है। बालू एक महत्वपूर्ण घटक है, बहुत सारे परियोजना इस खनिज पर निर्भर करता है। बालू खनन बंद होता है तो तब अवैध खनन चालू हो जाता है जिससे बालू की दर में वृद्धि हो जाती है जिससे आम–जनों को बहुत परेशानी होती है। लोगों की परेशानी को समझना चाहिए। बालू उत्खनन का कार्य चालू करने में सरकार द्वारा बनायी गयी बहुत सारे प्रक्रिया से होकर गुजरता है, तब पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नदियों का अस्तित्व पर कोई समस्या न हो इसलिए यह परियोजना वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। खनन कार्य दिन में किया जायेगा। वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा, ध्वनि प्रदूषण पर ध्यान रखा जायेगा तथा प्रदूषण रहित वाहनों का इस्तेमाल किया जायेगा। अगर आम–जन को कोई परेशानी होगी तो

उसका भी समाधान किया जायेगा। अलग–अलग दल इसकी निगरानी करेगी। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते है। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:–

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह, पिता–स्व0 सिद्धेश्वर सिंह, ग्राम–मिर्जाचक, प्रखण्ड–गुरारू, जिला–गया, द्वारा पूछा गया कि गाँव के बीचोबीच से परिवहन होता है उससे धूल उड़ता है और सड़क में गड्ढा भी हो जाता है।

उत्तर– अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि पट्टाधारक द्वारा ऐसे वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी जिसमें आबादी न्यूनतम हो। परियोजना में बालू ढूलाई के दौरान सड़क पर दिन में तीन बार जल छिड़काव का प्रस्ताव है। जिससे धूल–कण उड़ने की समस्या कम हो जायेगी। सड़क मरम्मत का कार्य पट्टेधारक द्वारा करायी जायेगी।

2. श्री अमोद सिंह, पिता–श्री चन्द्रिका सिंह, ग्राम–मिर्जाचक, प्रखण्ड–परैया, जिला–गया द्वारा पूछा गया कि बालू ढूलाई के दौरान बालू की महीन कण हमारे खेतों में भर जाता है। साथ–ही इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि परियोजना से उत्पन्न होने वाले रोजगार में हम ग्रामीणों को ही प्राथमिकता दी जाय।

उत्तर– पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढूलाई तिरपाल से ढककर की जायेगी।

पट्टेधारक द्वारा इनको आश्वासन दिया गया कि ग्रामीणों को ही रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ–ही–साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने–जाने के समय या भीड़–भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंशा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

28-9-20

बि0रा0प्र0नि0पर्षद, गया।
क्षेत्रीय पदाधिकारी

28/9/20

अपर समाहर्ता (वि0जा0)
गया

उपस्थिति सूची

मे० विश्वनाथ कुमार सिंह, मे० सुधीर कुमार सिंह द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-परैया के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-24, मोरहर घाट-25 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, परैया, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 25.09.2020 (शुक्रवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	संतोष कुमार श्रीवास्तव	अपर समाहर्ता विभाग गया	[signature] 25/9/20
2.	आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी	बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	[signature] 25-9-20
3.	Shambhu Nath Jha A-B-E	Bihar State Pollution Control Board, Patna	[signature] 25-9-20
4.	Dr. Jatin K Srivastava Consultant	Lucknow - 226017	Jatin [signature] 25/09/2020
5.	Er. Nitish Kumar	Patna	Nitish [signature]
6.	Chandan Sh	Tekari	[signature]
7.	Ramjeet Kumar	Gaya	Ramjeet [signature]
8.	धर्मेन्द्र सिंह	मिर्जाचक	[signature]
9.	सुबोध सिंह	सरेवा	[signature]
10.	Som Kumar	बघेड़ीया	Som [signature]
11.	Arun Paswan	Neamiya	[signature]
12.	Amod singh	मिर्जाचक	[signature]
13.	Raghubansh kr.	मिर्जाचक	[signature]
14.	मिथलेश कुमार	मिर्जाचक	मिथलेश

15.	मुकेश कुमार	बघेडीयल	मुकेश कुमार
16.	Krishna murari Kumar	murachak	[illegible]
17.	अनुज प्रसाद	मेडिरिया	अनुज प्रसाद
18.	राकेश कुमार	नोडरिया	राकेश कुमार
19.	Sundar singh	Phurhuriya	Sundar [illegible]
20.	Bipan singh	PhuRhuriyA	Bipan singh
21.	Ranjan Singh	Kapasiya	Ranja [illegible]
22.	पवन-कुमार	फुरहुरिया	पवन कुमार
23.	विजय-कुमार-सिंह	फुरहुरिया	विजय-कुमार सिं
24.	Harendrakumar	Phurhuriya	Harendrakuma
25.	Manoj [illegible]	Ledgeuj	[illegible]
26.	रंजन कुमार	परैया	रंजन कु०
27.	ज्योतिष कुमार	परैया	Jyotish Kr.
28.	M/S Sudhir kr (Lessi) Sinn	Morhar - 25 परैया (गया)	Sudhir Kr
29.	Vishwanath Kumar Singh	Morhar - 24	[illegible]
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			